गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, भारत
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

01 अप्रैल, 2022

सेवा में, सूचीकरण विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 **स्क्रिप कोड** - गेल	प्रबंधक कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001 **स्क्रिप कोड**- 532155

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय: गेल (इंडिया) लिमिटेड ("**कंपनी**") द्वारा इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद - बोर्ड संकल्प

31 मार्च, 2022 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल ("**बोर्ड**") की बैठक में, बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य के 5,69,85,463 (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पचासी हजार चार सौ तिरसठ) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद के प्रस्ताव को एकमत से मंजूरी दी, जो प्रति इक्विटी शेयर ("**वापसी खरीद प्रस्ताव कीमत**") 190/- रुपए (एक सौ नब्बे रुपए मात्र) की कीमत पर कंपनी के शेयरधारकों से कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 1.28% बैठता है, जो कुल प्रतिफल के लिए नकद में देय 1082,72,37,970 (एक हजार बयासी करोड़ बहत्तर लाख सैंतीस हजार नौ सौ सत्तर रुपए) ("**वापसी खरीद प्रस्ताव आकार**") पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का कुल 2.50% और 2.22% है, तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः कंपनी के लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार मुक्त भंडार (वापसी खरीद के प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए बोर्ड की बैठक की तारीख को उपलब्ध अंतिम लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68, 69, 70 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018 के अनुसार यथा संशोधित ("**वापसी खरीद विनियम**") ("**वापसी खरीद**") है।

वापसी खरीद विनियमों के विनियम 5(vii) के अनुपालन में, हम इसके साथ 31 मार्च, 2022 को बोर्ड की बैठक में पारित बोर्ड के संकल्प की एक प्रति संलग्न कर रहे हैं।

कंपनी उचित समय पर लागू कानून के अनुसार वापसी खरीद के संबंध में संबंधित अपडेट प्रदान करेगी।

धन्यवाद,

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड

(ए.के. झा)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्नक: यथोपरि

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, भारत
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/ PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/ FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

31 मार्च, 2022 को प्रात: 10:00 बजे गेल भवन, 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110066 में आयोजित गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की 439वीं बैठक में पारित प्रस्तावों की प्रमाणित प्रति

मद सं. 439.15:

शेयरों की वापसी खरीद:

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**"कंपनी अधिनियम"**) की धारा 68, 69, 70 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 (**"शेयर पूंजी नियम"**) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, लागू सीमा तक, और इसके तहत बनाए गए अन्य प्रासंगिक नियम, प्रत्येक समय-समय पर संशोधित के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 58 के अनुसार कंपनी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित (**"सूचीकरण विनियम"**) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018 के अनुपालन में यथा संशोधित (**"वापसी खरीद विनियम"**), और कोई भी सांविधिक आशोधन(नों) या उसका पुन: अधिनियमन, कुछ समय के लिए लागू और, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के ऐसे अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों, प्रतिबंधों और छूट के अधीन (**"सेबी"**), कारपोरेट कार्य मंत्रालय/ कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा (**"आरओसी"**) और/या अन्य प्राधिकरण, संस्थान या निकाय (**"उपयुक्त प्राधिकारी"**), जो आवश्यक हो और ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन जैसा कि ऐसे अनुमोदन, अनुमति देते समय और प्रतिबंध लगाते समय निर्धारित या लागू किया जा सकता है, जिस पर कंपनी (**निदेशक मंडल"/"बोर्ड"**, जिसकी अभिव्यक्ति में इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित बोर्ड द्वारा गठित किसी भी समिति का प्रयोग करना शामिल होगा) के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, बोर्ड एतद्द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए (**"इक्विटी शेयर"**) (कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में पूरी तरह से प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 1.28%) के अंकित मूल्य के 5,69,85,463 (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पचासी हजार चार सौ तिरसठ) तक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद की मंजूरी देता है, जो प्रति इक्विटी शेयर (**"वापसी खरीद प्रस्ताव कीमत"**) 190/- रुपए (एक सौ नब्बे रुपए मात्र), जो कुल प्रतिफल के लिए नकद में देय 1082,72,37,970 (एक हजार बयासी करोड़ बहत्तर लाख सैंतीस हजार नौ सौ सत्तर रुपए) (**"वापसी खरीद प्रस्ताव आकार"**) (लेन-देन लागतों को छोड़कर अर्थात् दलाली, सलाहकार की फीस, बिचौलियों की फीस, सार्वजनिक घोषणा प्रकाशन शुल्क, फाइलिंग फीस, कारोबार शुल्क, लागू कर जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* वापसी खरीद कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, माल और सेवा कर, स्टांप ड्यूटी और अन्य आकस्मिक

सीआईएन/CIN
L40200DL1984GOI018976
www.gailonline.com

और संबंधित खर्च शामिल है) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के योग का 2.50% और 2.22% है तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः कंपनी के लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार मुक्त रिजर्व (वापसी खरीद के प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए बोर्ड की बैठक की तारीख को उपलब्ध अंतिम लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण), तथा वापसी खरीद विनियमों (**इसके बाद "वापसी खरीद"** के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित **निविदा प्रस्ताव** मार्ग के माध्यम से रिकॉर्ड तिथि के अनुसार, समानुपातिक आधार पर कंपनी (शेयरधारक बनने वाले व्यक्तियों सहित उनके द्वारा धारित ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियों (**"जीडीआर"**) प्राप्त करके) अधिनियम और वापसी खरीद विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन मार्ग के तहत पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के योग के 10% (दस प्रतिशत) की सांविधिक सीमा के भीतर है।

आगे संकल्प लिया गया कि वापसी खरीद यथा संशोधित सूचीकरण विनियमों के विनियम 38 में निर्दिष्ट न्यूनतम पब्लिक शेयरधारिता आवश्यकता को बनाए रखने की शर्त के अधीन होगी।

आगे संकल्प लिया गया **है कि** कंपनी, कानूनी रूप से अनुमत सीमा तक, दिनांक 09 दिसंबर 2016 के परिपत्र सीएफडी/डीसीआर2/सीआईआर/पी/2016/131 और दिनांक 13 अगस्त 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/डीसीआर-III/सीआईआर/पी/2021/615 या ऐसे अन्य परिपत्र या अधिसूचनाएं, जैसा कि बाद के संशोधनों या सांविधिक संशोधनों सहित लागू हो, के साथ पठित सेबी द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/नीतिप्रकोष्ठ/1/2015 द्वारा अधिसूचित "स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों के अधिग्रहण की प्रणाली" का उपयोग करके वापसी खरीद व्यवस्था को लागू करेगी और कंपनी इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार स्टॉक एक्सचेंज(जों) से संपर्क करेगी।

आगे संकल्प लिया गया है कि इस तरह की वापसी खरीद कंपनी के फ्री रिजर्व और/ या ऐसे अन्य स्रोतों से की जाएगी, और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जो बोर्ड या उसकी विधिवत गठित समिति समय-समय पर तय कर सकती है, जैसा कि कानून द्वारा "निविदा प्रस्ताव" मार्ग के माध्यम से अनुमति दी जा सकती है जैसा कि वापसी खरीद विनियमों और कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित हो, कंपनी उसके इक्विटी शेयरों को रखने वाले सभी मौजूदा सदस्यों से इक्विटी शेयरों को आनुपातिक आधार पर वापसी खरीद सकती है, बशर्ते कि 15% (पंद्रह प्रतिशत) इक्विटी शेयर जिन्हें कंपनी वापसी खरीदने का प्रस्ताव करती है या रिकॉर्ड तिथि को छोटे शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुसार पात्रता इक्विटी शेयरों की संख्या, जो भी अधिक हो, छोटे शेयरधारकों के लिए आरक्षित होगी, जैसा कि वापसी खरीद विनियमों के विनियम 6 के तहत निर्धारित किया गया है।

आगे संकल्प लिया गया है कि निदेशक मंडल द्वारा एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि:

क) कंपनी के सभी इक्विटी शेयर पूरी तरह से चुकता कर दिए गए हैं;

GAIL (India) Ltd. 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 66

ख) इस वापसी खरीद के बंद होने की तारीख तक कोई शेयर या बोनस सहित अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित नहीं करेगी;

ग) कंपनी अपने मौजूदा दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, वापसी खरीद प्रस्ताव के बंद होने से एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजी नहीं जुटाएगी;

घ) कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 68(8) के प्रावधानों के अनुसार, वापसी खरीद अवधि की समाप्ति के बाद छह महीने की अवधि के भीतर उसी तरह के इक्विटी शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां जारी नहीं करेगी, सिवाय इसके कि बोनस शेयर या इक्विटी शेयर मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं जैसे वारंट का रूपांतरण, स्टॉक विकल्प योजनाएं, स्वेट इक्विटी या वरीयता शेयरों या डिबेंचर का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण ("मौजूदा दायित्व");

ङ) डिपोजिट की अदायगी, उस पर ब्याज का भुगतान, डिबेंचर की ऋणमुक्ति या उस पर ब्याज भुगतान या किसी शेयरधारक को देय लाभांश के भुगतान या किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंकिंग कंपनी को देय किसी भी सावधि ऋण या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है;

च) कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने इक्विटी शेयर नहीं खरीदेगी:

- अपनी सहायक कंपनियों सहित किसी भी सहायक कंपनी के माध्यम से, यदि कोई हो, या
- किसी निवेश कंपनी या निवेश कंपनियों के समूह के माध्यम से;

छ) कंपनी लॉक-इन इक्विटी शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों, यदि कोई हो और गैर-हस्तांतरणीय इक्विटी शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को लॉक-इन के लंबित रहने तक या इक्विटी शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के हस्तांतरणीय होने तक वापसी खरीद नहीं करेगी;

ज) कंपनी द्वारा बकाया सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों का अनुपात कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और वापसी खरीद विनियम के तहत निर्धारित कंपनी के पृथक और समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर, वापसी खरीद के बाद प्रदत्त पूंजी और फ्री रिजर्व के दोगुने से अधिक नहीं होगा;

झ) वापसी खरीद के लिए प्रतिफल का भुगतान केवल नकद के रूप में किया जाएगा;

ञ) वापसी खरीद की कुल राशि अर्थात् **रु.** 1082,72,37,970 (**एक हजार बयासी करोड़ बहत्तर लाख सैंतीस हजार नौ सौ सत्तर रुपए)** अर्थात् कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 2.50% और 2.22% और कंपनी का फ्री रिजर्व 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः

GAIL (India) Ltd. 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 66

कंपनी के नवीनतम लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण (वापसी खरीद के प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली बोर्ड बैठक की तारीख को उपलब्ध अंतिम लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार है और यह कि वापसी खरीद के तहत खरीदे जाने वाले प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की संख्या अर्थात् 5,69,85,463 (**पांच करोड़ उनहत्तर लाख पचासी हजार चार सौ तिरसठ**) इक्विटी शेयर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं है;

ट) वापसी खरीद के कारण स्टॉक एक्सचेंजों से इक्विटी शेयर सूची से हटने नहीं चाहिए;

ठ) कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92, 123, 127 और 129 का अनुपालन कर रही है;

ड) इस बोर्ड के प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के भीतर वापसी खरीद पूरी की जाएगी;

ढ) कंपनी वापसी खरीद अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वापसी खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं देगी;

ण) कंपनी ने बोर्ड की बैठक की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है, जिसमें वापसी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी;

त) सेबी के पास प्रस्ताव का मसौदा पत्र दायर किए जाने या वापसी खरीद के प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बाद कंपनी वापसी खरीद प्रस्ताव को वापस नहीं लेगी;

थ) कंपनी अपने इक्विटी शेयरों को किसी भी व्यक्ति से बातचीत के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर या बाहर या स्पॉट लेनदेन के माध्यम से या वापसी खरीद के कार्यान्वयन में किसी भी निजी व्यवस्था के माध्यम से वापस नहीं खरीदेगी; तथा

द) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समामेलन या समझौता या व्यवस्था की कोई योजना आज तक लंबित नहीं है।

आगे संकल्प लिया गया कि प्रस्तावित वापसी खरीद कंपनी के प्रमोटर सहित मौजूदा शेयरधारकों से लागू की जाएगी, जैसा कि यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कंपनी द्वारा समय-समय पर किए गए शेयरधारिता पैटर्न फाइलिंग के तहत खुलासा किया गया है, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 2011, यथा संशोधित (**"सेबी अधिग्रहण विनियम"**) के अनुसार समय-समय पर प्रस्तुत की गई सूचनाएं, जैसा कि बोर्ड उचित समझे, अपने फ्री रिजर्व और/या शेयर प्रीमियम खाते और/या अधिशेष और/या नकद शेष और/या कंपनी के आंतरिक उपार्जन और/या ऐसे अन्य स्रोतों या ऐसी प्रणाली द्वारा जो

GAIL (India) Ltd. 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 66

कानून द्वारा अनुमत हो, और बोर्ड के रूप में ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर समय-समय पर और बोर्ड के पूर्ण विवेक से, जैसा वह उचित समझे, निर्णय ले सकता है।

आगे संकल्प लिया गया है कि कंपनी वापसी खरीद में अपने इक्विटी शेयरों को निविदा देने वाले इक्विटी शेयरधारकों को प्रतिफल का भुगतान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से किसी भी रूप और प्रकृति के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित, उधार ली गई धनराशि का उपयोग नहीं करेगी।

आगे संकल्प लिया गया कि वापसी खरीद विनियमों के विनियम 5 के तहत अनुसूची-I के खंड (x) द्वारा अपेक्षित अनुसार, बोर्ड एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों और संभावनाओं की पूरी जांच की है और ऐसी पूछताछ के आधार पर, निदेशक मंडल ने यह राय बनाई है कि:

क) इस बोर्ड बैठक की तारीख के तुरंत बाद, ऐसा कोई आधार नहीं होगा जिस पर कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ पाया जा सके;

ख) इस बोर्ड बैठक की तारीख के तुरंत बाद के वर्ष के लिए कंपनी की संभावनाओं के संबंध में, और उस वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन के संबंध में बोर्ड की मंशा और वित्तीय संसाधनों की राशि और स्वरूप के संबंध में जो बोर्ड के दृष्टिकोण में उस वर्ष के दौरान कंपनी के लिए उपलब्ध होंगे, कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम होगी और जब वे देय होंगी और इस बोर्ड की बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया नहीं होंगी; और

ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राय बनाने में, बोर्ड ने देनदारियों को ध्यान में रखा है, जैसे कि संभावित और आकस्मिक देनदारियों सहित कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के तहत कंपनी को बंद किया जा रहा है।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 68(6) और वापसी खरीद विनियमों के विनियम 8(i)(ख) के प्रावधान के तहत अपेक्षित अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में तैयार शोधन-क्षमता की घोषणा का मसौदा और बैठक से पहले प्रस्तुत सहायक हलफनामे को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) को इसे अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। बोर्ड की ओर से, और कंपनी सचिव को इसके द्वारा आरओसी और सेबी में दायर करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प लिया गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों/ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, विदेशी कॉर्पोरेट निकायों, यदि कोई हो, सहित भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों से शेयरधारकों से वापसी खरीद ऐसे

GAIL (India) Ltd. 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 66

अनुमोदन, यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, यदि कोई हों, के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन सहित अपेक्षित सीमा तक या आवश्यकता के अधीन होगा।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि निवेशकों के निर्णय पर असर डालने वाली किसी भी सूचना/सामग्री को छिपाया/ रोका नहीं गया है और/या इस तरह से शामिल किया गया है कि गलत विवरण/ गलत बयानी हो और इसके किसी भी स्तर पर प्रसारित होने की स्थिति में जब किसी सूचना/ सामग्री को छुपाया/ रोका गया है और/या इसके कारण गलत विवरण/ गलत बयानी हो, तो बोर्ड और कंपनी, कंपनी अधिनियम और वापसी खरीद विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

आगे यह संकल्प लिया गया कि वापसी खरीद का प्रस्ताव कंपनी द्वारा समग्र शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और वापसी खरीद से इक्विटी शेयरों की कुल संख्या में कमी आएगी।

आगे संकल्प लिया गया कि आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की नियुक्ति मर्चेंट बैंकर और ब्रोकर के रूप में शेयरों की वापसी खरीद और अन्य मध्यस्थ सेवाओं के लिए सीएमडी द्वारा अनुमोदित एजेंडा नोट में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर की जाती है और बोर्ड द्वारा इसे एतद्द्वारा नोट किया गया है।

आगे संकल्प लिया गया कि भविष्य में शेयरों की वापसी खरीद और वापसी खरीद से संबंधित अन्य मध्यस्थ सेवाओं के लिए मर्चेंट बैंकर और ब्रोकर की नियुक्ति के लिए सीएमडी को अधिकृत करने के लिए एतद्द्वारा बोर्ड की मंजूरी दी जाती है।

आगे संकल्प लिया गया कि निदेशक (वित्त) को अध्यक्ष और निदेशक (परियोजनाएं) ("वापसी खरीद समिति") के रूप में ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए एक समिति के गठन के लिए बोर्ड की मंजूरी दी जाती है, जो अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, समीचीन, सामान्य या उचित समझे, जैसा कि वापसी खरीद समिति शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में विचार कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन जो इन तक सीमित नहीं हैं:

क) यदि आवश्यक हो तो दलालों, रजिस्ट्रार, विज्ञापन और मुद्रण एजेंसी, एस्क्रो बैंक, लेखा परीक्षकों, प्रेषण एजेंसी, डिपॉजिटरी, अनुपालन अधिकारी और अन्य सलाहकारों, सलाहकारों या प्रतिनिधियों की नियुक्ति;

GAIL (India) Ltd. 16 Bhikaiji Cama Place, New Delhi-66

ख) वापसी खरीद की शर्तों को अंतिम रूप देना जैसे कि वापसी खरीद के लिए प्रणाली, रिकॉर्ड तिथि, पात्रता अनुपात, वापसी खरीद के लिए गतिविधियों की अनुसूची, वापसी खरीद को खोलने और बंद करने की तारीख को अंतिम रूप देने सहित, वापसी खरीद के पूरा होने की समय-सीमा;

ग) बैंक के साथ एस्क्रो व्यवस्था करने के लिए जैसा कि वापसी खरीद विनियमों के संदर्भ में आवश्यक हो सकता है;

घ) वापसी खरीद विनियमों के तहत अपेक्षित मर्चेंट बैंकर के निर्देशों पर कार्य करने के लिए बैंकरों को अधिकृत करना;

ङ) भुगतान के उद्देश्य से बैंक खाते, एस्क्रो बैंक खाता, विशेष एस्क्रो बैंक खाता, डिपॉजिटरी खाते (एस्क्रो खाते सहित), मर्चेंट बैंकर/ ब्रोकर/ मैनेजर के साथ वापसी खरीद में ट्रेडिंग खाता सहित सभी आवश्यक खाते खोलना, संचालन और बंद करना। उक्त खातों को संचालित करने के लिए व्यक्तियों को अधिकृत करना;

च) सार्वजनिक घोषणा तैयार करने, स्वीकृत करने, हस्ताक्षर करने और फाइल करने के लिए, सेबी, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के साथ प्रस्ताव पत्र का मसौदा और वापसी खरीद के संबंध में सभी दस्तावेज ("**वापसी खरीद प्रस्ताव दस्तावेज**") के साथ और अधिनियम या वापसी खरीद विनियमों के अनुसार उसमें कोई सुधार/ आशोधन/ संशोधन;

छ) वापसी खरीद प्रस्ताव दस्तावेज़ों की प्रतियां और उनमें किसी भी संशोधन को सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ समय-सीमा के भीतर, जैसा कि अधिनियम या वापसी खरीद विनियमों में निर्दिष्ट है, प्रस्तुत करना;

ज) नामित स्टॉक एक्सचेंज पर निर्णय लेना;

झ) वापसी खरीद को लागू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") और आरबीआई सहित सभी विनियामक अनुमोदन और छूट, यदि कोई हो, प्राप्त करना;

ञ) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन सहित उनके अपेक्षित अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को सभी आवेदन करना;

GAIL (India) Ltd. 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-66

ट) अधिनियम या वापसी खरीद विनियमों में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वापसी खरीद के लिए प्रस्ताव शुरू करने की तिथि और उसकी समाप्ति तिथि के बारे में निर्णय लेना।

ठ) वापसी खरीद प्रस्ताव के खुलने से लेकर वापसी खरीद प्रस्ताव के बाद की गतिविधियों के पूरा होने तक की समय-सारणी तय करना, जिसमें शेयरों की समाप्ति भी शामिल है;

ड) गैर-भौतिक शेयरों को समाप्त करना और शेयर प्रमाणपत्रों को भौतिक रूप से नष्ट करना तथा कंपनी और/या बोर्ड की ओर से वापसी खरीद के संबंध में, जैसा कि लागू कानून के तहत आवश्यक हो, फाइल करने के लिए आवश्यक समाप्ति का प्रमाण-पत्र दाखिल करना;

ढ) वापसी खरीद के प्रयोजनों के लिए किसी भी बिचौलियों/ एजेंसियों/ व्यक्तियों को नियुक्त करना और ऐसे सभी मध्यस्थों/ एजेंसियों/ व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक का निर्णय लेना और निपटान करना, जिसमें दलाली, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान शामिल है और उसके संबंध में समझौतों/ पत्रों में हस्ताक्षर करना;

ण) कंपनी के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार शेयरों की वापसी खरीद के लिए निष्पादित किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों पर कंपनी की सामान्य मुहर लगाना;

त) ऐसे अन्य दस्तावेजों, विलेखों और लेखों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना और वितरित करना तथा ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करना, जो अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, वापसी खरीद के कार्यान्वयन के लिए शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में आवश्यक, समीचीन या उचित समझी जाएं, और सेबी, आरबीआई, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और/या अन्य उपयुक्त प्राधिकारी को वापसी खरीद के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों और ऐसे अन्य उपक्रमों, समझौतों, कागजात, दस्तावेजों और पत्राचार तैयार और जारी करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई शुरू करना;

थ) सांविधिक लेखा परीक्षकों और लागू कानून के तहत आवश्यक अन्य तृतीय पक्षों से सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट प्राप्त करना;

द) स्टॉक एक्सचेंजों (उनके समाशोधन कॉर्पोरेशनों सहित) से निपटना, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना और वितरित करना, जो सेबी द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2015 के परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसेल/1/2015, दिनांक 09 दिसंबर, 2016 के परिपत्र सीएफडी/डीसीआर2/सीआईआर/पी/2016/131 और दिनांक 13 अगस्त, 2021 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/डीसीआर-III/सीआईआर/पी/2021/615 द्वारा अधिसूचित "स्टॉक एक्सचेंज के

GAIL (India) Ltd. 16 Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 66

माध्यम से शेयरों के अधिग्रहण की प्रणाली" का उपयोग करके वापसी खरीद को लागू करने के संबंध में आवश्यक या वांछनीय हो सकते हैं।

ध) प्राप्त प्रस्ताव/ स्वीकृति को सत्यापित करना;

न) स्वीकृति के आधार को अंतिम रूप देना;

ऩ) मर्चेंट बैंकरों, रजिस्ट्रार या वापसी खरीद के उद्देश्य से नियुक्त अन्य एजेंसियों को उपर्युक्त किसी भी गतिविधि को करने के लिए अधिकृत करना;

प) कंपनी के किसी निदेशक(कों)/अधिकारी(यों)/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) को सौंपे गए सभी या किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

फ) ऐसे निर्देश देना, जो वापसी खरीद के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न या कठिनाइयों को निपटाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो सकते हैं;

ब) वापसी खरीद से संबंधित और सहायक किसी भी मामले के संबंध में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आरओसी और किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न या कठिनाइयों से निपटाने और समाधान करना;

भ) वापसी खरीद के कार्यान्वयन के लिए ऐसे सभी कार्य करना जो वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, समीचीन या उचित समझे;

वापसी खरीद इश्यू के पूरा होने के बाद समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

कंपनी सचिव वापसी खरीद समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

आगे संकल्प लिया गया कि सीएमडी और निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव को एतद्द्वारा सार्वजनिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने और दाखिल करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत किया जाए और किया जाता है तथा सेबी, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य उपयुक्त प्राधिकारी के साथ प्रस्ताव पत्र का मसौदा तैयार करेंगे।

आगे संकल्प लिया गया कि वापसी खरीद समिति के पास उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए और कंपनी के किसी भी निदेशक/ अधिकारी (अधिकारियों) और/ या कंपनी के प्रतिनिधियों को सौंपे गए

GAIL (India) Ltd. * 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 66 *

सभी या किसी भी प्राधिकार को सौंपने समय-समय पर प्राधिकार के ऐसे प्रतिनिधिमंडलों/ उप-प्रतिनिधिमंडलों को रद्द करने और प्रतिस्थापित करने की शक्ति और अधिकार होगा।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी के इक्विटी शेयरों के वापसी खरीद में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु शुक्रवार, 22 अप्रैल, 2022 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित करने के लिए बोर्ड का अनुमोदन दिया जाए और दिया जाता है।

आगे संकल्प लिया गया कि वापसी खरीद विनियमों के विनियम 24(iii) के अनुसार, कंपनी सचिव को वापसी खरीद के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और किया जाता है।

आगे संकल्प लिया गया कि इसमें शामिल कुछ भी किसी भी शेयरधारक को किसी भी शेयर को वापसी खरीद करने और या कंपनी या बोर्ड या वापसी खरीद समिति की किसी भी शक्ति को कम करने के लिए कंपनी या बोर्ड या वापसी खरीद समिति पर किसी भी दायित्व का प्रस्ताव करने या ऐसी वापसी खरीद के संबंध में किसी भी प्रक्रिया को समाप्त करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, यदि कानून द्वारा ऐसा करने की अनुमति हो।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी वापसी खरीद किए गए शेयरों का एक रजिस्टर बनाएगी जिसमें वापसी खरीद किए गए इक्विटी शेयरों का विवरण, वापसी खरीद किए गए इक्विटी शेयरों के लिए किए गए भुगतान का प्रतिफल, इक्विटी शेयरों को रद्द करने की तारीख और इक्विटी शेयरों को समाप्त करने भौतिक रूप से नष्ट करने की तारीख और ऐसे अन्य विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित जाएगा, और कंपनी के कंपनी सचिव को उक्त रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को प्रमाणित करने अधिकृत किया जाएगा।

आगे यह संकल्प लिया गया कि निदेशक (वित्त)/कंपनी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय/ कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा और किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी के साथ आवश्यक ई-फॉर्म दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों, काम और चीजें करने के लिए एतद्द्वारा पूरी तरह से अधिकृत किया जाए और किया जाता है जो उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।